

राष्ट्रीय आंदोलन, सांप्रदायिकता और मौलाना आजाद का भारत (1920–1947)

डॉ० पप्पु ठाकुर

पूर्व शोध छात्र इतिहास विभाग

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

मौलाना आजाद (1888–1958) राष्ट्रीय विरासत है। इतिहास में उन्हें पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ योद्धा, सांप्रदायिक सद्भाव के मुख्य निर्माता और एक ऐसे कांग्रेस प्रमुख के रूप में जाना जाता है जो 1947 में देश के विभाजन के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। इस अध्याय में स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आजाद की भूमिका, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझने में उनके योगदान और अंत में धर्म-निरपेक्ष भारत के उनके विचार के बारे में चर्चा की गई है।

स्वदेशी आंदोलन (1905–1908) के दौरान जिस समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की उस समय वह कट्टर उग्रवादी श्यामसुंदर चक्रवर्ती और अरविंद घोष के साथ संपर्क में थे क्रांतिकारियों से जुड़कर उन्होंने लोगों के मन से यह बात निकाल दी कि मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ शहरों में गुप्त समितियाँ बनाईं। वह फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई में हिंसक तरीकों के प्रयोग से नहीं हिचकिचाते थे।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आजाद विद्रोही गतिविधियों में शामिल थे। अल-हिलाल और अल-बलघ के जरिए उन्होंने सर्व-इस्लामी और ब्रिटिश विरोधी प्रचार किया। शुरू में वह मुस्लिम लीग के आलोचक थे, लेकिन उन्होंने 1914 के लीग के संकल्प का समर्थन किया जिसमें उपयुक्त स्व-शासन की बात की गई थी। उन्होंने अनेक युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने "जिहाद" को अन्याय के खिलाफ लड़ाई बताया। वे 1915 में छिपकर अफगानिस्तान चले गए, अबदुल्लाह के संपर्क में थे और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने के लिए शुरुआती तैयारियाँ कर रहे थे। कलकत्ता में मुस्लिम समुदाय में अपने प्रभाव के बल पर उन्होंने षड्यंत्रकारियों को

वित्तीय सहायता दी। जाहिर है कि उन्हें अल-बलघ में छपे किसी आपत्तिजनक लेख के लिए नहीं, बल्कि सिल्क षड्यंत्र में भागीदारी और उसके कुछ नेताओं के साथ उनके निकट संबंधों के कारण बंगाल से निष्कासित किया गया। उन्हें इस शर्त पर राँची देनी पड़ती थी और आगंतुकों के बारे में बताना पड़ता था।

1920 तक उन्होंने लीग या कांग्रेस के साथ जुड़ने के बारे में कोई निश्चय नहीं किया था, हालांकि ब्रिटिश शासन के प्रति उनका विरोध जगजाहिर था। गाँधीजी उनके पिता के बारे में जानते थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदभाव के खिलाफ आंदोलन में समर्थन दिया था। वास्तव में गाँधीजी राँची में ही आजाद से मिलना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

919 के बाद स्वतंत्रता संघर्ष ने नया रूप ले लिया। रॉलेट-विरोधी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, जलियावाला बाग हत्याकांड, मार्शल ला और इसमें की गई ज्यादतियों ने देश में जागृति पैदा कर दी थी। उस समय कांग्रेस में नरमपंथियों की आवाज दब गई थी और वे सेना विहीन अफसर नजर आ रहे थे। साथ ही उस समय हिंदू-मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी और वे एक ही ग्लास में पानी पीते थे। औपनिवेशिक प्राधिकारी इस एकता से परेशान थे। लोगो और सरकार के बीच विरोध के कारण खुलकर संघर्ष हुए। जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद बैंगोर ने अपनी नाईट की उपाधि को वापस कर दिया, गाँधी ने कैसर-इ-हिंद स्वर्ण पदक लौटा दिया। तुर्की साम्राज्य के ध्वस्त हो जाने के बाद भारत में मुस्लिमों में असंतोष था। आजाद तुर्की और उसके घटे हुए कद के कारण बहुत चिंतित थे। उनके अखबार अल-हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह खिलाफत आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए और उसमें कूद पड़े।

खिलाफत आंदोलन के उदय के साथ उन्हें अपने विचारों के लिए संस्थागत समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन के दौरान उम्मत-ए-वहीदा (एक राष्ट्र) का गठन करके उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह बहुत बड़े आंदोलनकारी और राष्ट्रवादी लक्ष्य के कट्टर समर्थक बन गए। ध्यान देने की बात है कि गाँधीजी ने शुरू से ही खिलाफत के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त कर दी थी। 18 जनवरी 1920 को आजाद खिलाफत सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए और गाँधीजी से मिले। तिलक और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। आजाद ने वाइसरॉय चेम्सफोर्ड को भेजी जाने वाली प्रतिनिधियों की याचिका पर हस्ताक्षर किए। अपनी याचिका में प्रतिनिधियों ने खलीफा की संप्रभुता की माँग की। 1920 के शुरू में खिलाफत आंदोलन ने गति

पकड़ ली। खिलाफत नेताओं, मुहम्मद अली, अब्दुल बारी और आजाद ने देश का दौरा किया, बैठको को संबोधित किया, पैसा इकट्ठा किया और अपनी लड़ाई में हिंदुओं के समर्थन के महत्व पर बल दिया। आजाद ने खिलाफत की रक्षा और पवित्र स्थानों को गैर-मुस्लिमों के हाथों में पड़ने से बचाने के मुस्लिमों के कर्तव्य पर आजाद ने खिलाफत की रक्षा और पवित्र स्थानों को गैर-मुस्लिमों के हाथों में पड़ने से बचाने के मुस्लिमों के कर्तव्य पर बल दिया। मार्च 1920 में गाँधीजी के अलावा 15 मुस्लिमों और दस हिंदुओं ने दिल्ली में असहयोग योजना पर चर्चा की।

इस अवसर पर गाँधीजी, बाल गंगाधर तिलक, मदनमोहन मालवीय, लाजपतराय, डॉ० अंसारी, अजमल खान, मौलाना आजाद, अब्दुल बारी और शौकत अली मौजूद थे। तिलक ने गाँधी के असहयोग का समर्थन नहीं किया, मालवीय ने कुछ आपत्तियाँ जताईं, लाजपत राय ने आंदोलन के केवल स्वदेशी अंश का समर्थन किया, लेकिन जिन्नाह इसके खिलाफ था, वह राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं चाहता था। गाँधीजी ने चेतावनी दी कि यदि तुर्की शांति की शर्तें संतोषजनक नहीं हुईं तो असहयोग को क्रियान्वित किया जाएगा। मौलाना आजाद ने गाँधीजी के समर्थन किया और कहा कि अपने बिहार दौरे से वह इस बारे में आश्वस्त है कि मुस्लिम असहयोग में पुरे उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे। हालांकि गाँधीजी ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, संघर्ष में गैर-मुस्लिमों को नाराज न करते हुए असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की भावनाओं का प्रयोग किया लेकिन उनके किसी भी कार्यक्रम में खिलाफत का मुद्दा नहीं था। वास्तव में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगो के मन में आजादी के लिए हिलोरें उठने लगीं। जमायत-उल-उलेमा ने भी फतवा जारी करके लोगो से चुनावों सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करने और पदवियों और ओहदों का त्याग करने को कहा। उस समय व्याप्त जोश को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया:

दुख की बात है कि 1920 और 1930 के दशकों के दौरान राष्ट्रीय नेता सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं कर सके। नेहरू रिपोर्ट (1928), जिन्नाह के चौदह सुत्र (मार्च 1929) सर्व दल सम्मेलन (दिसंबर 1929) साइमन आयोग प्रस्ताव (1930) और तीन गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1930 से जनवरी 1932) सांप्रदायिकता की समस्या का सामाधान नहीं कर सकते जो गाँधीजी के शब्दों में समस्याओं की समस्या बन गई थी। बुनियादी सवाल प्रांतीय और केंद्रीय स्तरों पर जाने वाली नई संवैधानिक व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों के रूप में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का

था। अधिकांश इतिहासकार भारत के विभाजन का कारण कांग्रेस-लीग अंतरिम सरकार प्रयोद की विफलता और 1946 में सांप्रदायिक दंगों या 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव को मानते हैं जिसमें अलग मुस्लिम देश की मांग की गई। 1937 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-लीग गठबंधन सरकार के न बन पाने को भी कांग्रेस और लीग में फूट का कारण माना जाता है जिससे पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन बीस के दशक के अंत और तीस के दशक के प्रारंभ की महत्वपूर्ण अवधि की उपेक्षा कर दी जाती है, जब वास्तव में विभाजन के बीज बोए गए। दलों के बीच एकता के लिए इस अवधि में आजाद द्वारा किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं।

आजाद अपने शान्त स्वभाव और राजनीतिक संकट की स्थिति में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए विख्यात थे, इसलिए 1940 के रामगढ़ सत्र में उनसे कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के लिए कहा गया। यह संयोग मात्र नहीं था कि वह 17 मार्च 1940 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को अलग देश पाकिस्तान के लिए संकल्प पारित किया। उन्होंने शुद्ध उर्दू में भाषण दिया जिसका पंडित ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने जोरदार भाषण में उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मुद्दों को उठाया। कांग्रेस के साथ विचार किए बगैर ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा की बात भी की गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत उसकी विजय नहीं चाहता जिससे वह और मजबूत बन और भारत की दासता की अवधि बढ़े। उन्होंने सांप्रदायिकता की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस कटु सत्य को स्वीकार करते हुए अंग्रेजों के घृणित मंसेबों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म जरूर अलग हैं, परंतु राष्ट्र के रूप में वे एक हैं। वे सांझी विरासत के अभिन्न अंग हैं। एक भारतीय और सच्चा मुसलमान होने और इस्लाम और भारत की सांझी विरासत को अपनाने में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिंदू-मुस्लिम समस्या पर उन्होंने यह कहा:

“पुरी ग्यारह सदिया बीत चुकी है। अब भारत की धरती पर इस्लाम का उतना ही हक है जितना कि हिंदूवाद का। यदि हिंदूवाद कई हजार वर्षों से लोगों का धर्म है तो इस्लाम भी एक हजार वर्ष से उनका धर्म है। जैसे कोई हिंदू गर्व के साथ कह सकता है कि वह हिंदू और भारतीय है, वैसे ही हम उतने ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और इस्लाम के अनुयायी हैं।”

उन्होंने मुसलमानों के मन में बैठे डर को दूर किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हितों की रक्षा होगी। उन्होंने कांग्रेस के पुरे इतिहास में उसकी नीति का मार्गदर्शन किया और कहा कि भारत में जो भी संविधान स्वीकार किया जाएगा उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की गारंटी होगी वह नहीं चाहते थे कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में निर्णय न करें, लेकिन चाहते थे कि अल्पसंख्यकों के हित उनकी सहमति से तय हो।

मौलाना आजाद सामासिक संस्कृति के गुणों के कायल थे और समृद्ध विरासत और साँझी संस्कृति की उपेक्षा करके केवल अपने संकीर्ण अतीत को फिर से उभारने की हिंदू और मुस्लिम प्रवृत्ति की निंदा करते थे। आजाद केवल रणनीति के केवल अपने संकीर्ण अतीत को फिर से उभारने की हिंदू और मुस्लिम प्रवृत्ति निंदा करते थे। आजाद केवल रणनीति के रूप में ही अहिंसा में विश्वास करते थे, मान्यता के रूप में नहीं। उन्होंने मुक्ति के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग को भी उचित माना। दूसरे विश्व युद्ध में उनकी अलाएड के साथ सहानुभूति थी जो नाजीवाद और फासीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन फजलुल हक ने आजाद के अध्यक्षीय भाषण को अइस्लामिक बताया और कहा कि पंजाब और बंगाल में भी उनकी स्थिति खराब है। दूसरी आरे हिंदू महासभा का रुख भी उतना ही मुस्लिम विरोधी था। वे चाहते थे कि न केवल कांग्रेस का हिंदू महासभा में विलय कर दिया जाए, बल्कि हिंदू राज की स्थापना की जाए।

चर्खा हिंदू-मुसलमान एकता, प्रेम और अहिंसा जैसे कांग्रेस के आदर्शों को अस्वीकार करके हिंदू राज की स्थापना की जाए। चर्ख, हिंदू-मुसलमान एकता, प्रेम और अहिंसा जैसे कांग्रेस के आदर्शों को अस्वीकार करके हिंदू महासभा अपनी हिंदू नागरिक राम सेना बनाना चाहती थी। वे सेना में मुसलमानों की भर्ती को कम करना चाहते थे। 23 मार्च 1940 को वी.डी. सावरकर ने तामिलनाडु में हिंदू महासभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में स्वराज केवल हिंदू राज होगा। एक अन्य भाषण में उन्होंने हिंदूओं को राष्ट्र घोषित किया। अंग्रेजों से बातचीत के लिए कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सरकार, जिसके लिए आजाद का समर्थन था, के बारे में जिन्नाह ने बड़ी कठोर टिप्पणी की। उसने इसे कांग्रेस द्वारा हिंदू राज स्थापित करने की चाल बताकर इसकी निंदा की, हालांकि आजाद ने जिन्नाह को स्पष्ट कर दिया था कि यह संयुक्त मंत्रिमंडल होगा और किसी एक दल तक सीमित नहीं रहेगा। जिन्नाह ने आजाद को फटकार लगाई और उन्हें चेतावनी दी कि वह (आजाद) केवल मुस्लिम मुखौटा बन गए हैं। जिन्नाह ने उनसे यह भी

कहा कि वह न तो मुसलमानों के प्रतिनिधि है और न हिंदुओं के और यह कि कांग्रेस हिंदू संगठन है।

आजाद ने जिन्नाह की इस दलील को ठुकरा दिया कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए 1945 में वावेल के प्रस्ताव के अनुसार कार्यकारी परिषद में केवल मुस्लिम लीग से जुड़े मुसलमान प्रतिनिधियों को स्थान मिले। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जिन्नाह की बात को स्वीकार करने का मतलब होगा कांग्रेस को सांप्रदायिक संगठन बना देना अज्ञैर वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वाले लिखा है कि उसकी उपस्थिति में शिमला में आजाद ने जिन्नाह से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया परंतु जिन्नाह ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। 1940 के दशक के अंत तक आते-आते अंतरित सरकार और संविधान सभा में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत खराब हो गई, विशेष रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों के बाद। अंतरिम सरकार के गठन के खिलाफ जिन्नाह द्वारा सी कार्यवाही दिवस की घोषणा के तीन दिन के भीतर अकेले कोलकता में 20000 लोगों की जान चली गई या गंभीर रूप से जख्मी हुए। इन नृशंस हत्याओं के बाद देश गृह युद्ध के कगार पर पहुँच गया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से बचाव के लिए मुल्लाओं और पीरों को बुलाया। तर्क दिया गया कि नेहरू की टिप्पणियां सीधे-सीधे तोड़-फोड़ की कार्यवाही थी।

केबिनेट मिशन योजना के बारे में आजाद की प्रतिक्रियाओं का नेहरू ने पूरी तरह से विरोध किया। वास्तव में कांग्रेस ने केबिनेट योजना के बारे में कुछ सफाई देकर स्थिति को संभालने की कोशिश की लेकिन लीग के साथ समझौते के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। इस बारे में तर्क दिया जा सकता है कि अपने अन्य कांग्रेसी सहयोगियों की तरह आजाद भी देश के विभाजन के विरुद्ध थे, क्योंकि उनके विचार से इससे समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। उन्होंने वावेल को स्पष्ट कर दिया कि सरकार गठन के लिए कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ बराबर को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इससे कभी न खत्म होने वाले झागड़े शुरू होंगे। विशेष रूप से लाखों लोगों के कत्लेआम को देखते हुए वह चाहते थे कि सरकार पूर्ण स्वतंत्रता की तुरंत घोषणा करे जिसमें वासराय संवैधानिक प्रमुख मात्र हो।

कांग्रेस के कुछ नेताओं के विचार से सांप्रदायिकता की समस्या को राम-रहीम नजरिए से ही सुलझाया जा सकता है जिसने देश के विभाजन का खतरा पैदा कर दिया है: कुछ के विचार से यह आर्थिक मुद्दा थी जिसके लिए दीर्घकालिक कार्यवाही की जरूरत है और कुछ अन्य इसे देश के नेतृत्व के लिए लड़ाई के रूप



में देखते थे। सांप्रदायिक राजनीति के बारे में स्पष्ट समझ रखने वाले आजाद के अनुसार तत्काल आवश्यकता अल्पसंख्यकों के साथ सत्ता सांझा करना थी जिससे कि उन्हें हितों की रक्षा की जा सके।

इस बारे में कोई भी चर्चा स्वतंत्रता के बाद आजाद द्वारा 1948 में जमा मस्जिद पर दिए गए विख्यात भाषण के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी। विभाजन के बाद मासूम मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा था कि वे पाकिस्तान जाएं या न जाएं। अपने सशक्त भाषण में आजाद ने कहा कि मुसलमान दो राष्ट्र सिद्धांत को भूल जाएं जो धर्म और विश्वास को सूली पर चढ़ाने जैसा है। उन्होंने इसे भूल जाने को कहा क्योंकि जिन स्तंभों पर वह टिकी है वे बहुत जल्दी धराशायी होने वाले हैं। उन्होंने उनसे पाकिस्तान न जाने के लिए कहा क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो इतिहासकार उन्हें कायर बताएंगे। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि भारत का विभाजन बुनियादी तौर पर गलत है। उन्होंने मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों को बरगलाने के लिए दोषी बताया। उन्होंने उनसे कहा कि वे वहम और संशय का मार्ग त्याग दें और विदेशी शासन से देश की मुक्ति का आनंद ले। लाल किले के महत्व की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा:—

आज भारत आजाद है और आप देख सकते हैं कि तिरंगा कितनी शान के साथ लाल किले के परकोटे पर लहरा रहा है। यही व झंडा जिसका शासक उसके फहराने से पहले शासक मजाक उड़ाते थे।

उन्होंने कहा कि वे पलायनवादी न बनें और दिल्ली में रहने से न डरें जिसे उन्होंने अपने रक्त से सींचा है। उनको समय के अनुरूप ढलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा:

मैं आपसे यह नहीं कर रहा हूँ कि आप सत्ताधारियों के भय से किसी से अपनी निष्ठा का प्रमाण—पत्र मांगें या शिविर अनुयायियों की तरह जिएं जैसा कि विदेशी प्रभुत्व के समय पहले करते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज भारत में विरासत की जो चमक आप देखें तो उसमें आपके पूर्वजों का योदान है। उनका त्याग न करें। उनके योग्य वारिसों की तरह रहें। यदि आप नहीं भागना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके भगा नहीं सकती है। आइए हम शपथ ले कि यह हमारा देश है, हम इसके हैं और इसकी नियति हमसब भागीदारी के बगैर अधूरी रहेगी।

संदर्भ



1. इंडिया विनस फीडम: एन ऑटोबायोग्राफी: आख्यान, हुमायू कबीर (संपादित)
मुंबई 1959, पृ. 5
2. सुमित सरकार, दि स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल (1903–1908), नई दिल्ली
1973 पृ. 217–43 और 367.
3. फॉरेन एंड पॉलिटिकल, फटियर बी-कॉन्फिडेंशिल, ए प्रोसिडिंग, 1914 पृ.
24–30 इसमें सिल्फ लैटर कोंसपायरेसी का एक परिशिष्ट है जिसे वी.एन
दत्ता, मौलाना आजाद, नई दिल्ली 1990 पृ. 142 में उद्धरित किया गया।
4. जुडिथ ब्राउन, गाँधीज राईज टु पावर 1915–1922 केंब्रिज 1972 पृ.
205–06.
5. जवाहरलाल नेहरू, आत्मकथा लंदन 1955 पृ.44
6. खुतबत-ए-आजाद उद्धरित वी.एन. दत्ता उपर्युक्त पृ. 129
7. इंडिया विनस फीडम उपर्युक्त पृ.25
8. कलेक्टड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी खंड 32 पृ.511
9. जवाहरलाल नेहरू आत्मकथा लंदन 1955 पृ.136
10. खुतबत-ए-आजाद उपर्युक्त पृ.298